

सं०सं०-16/एम.1-85/2025 -

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना-800015
पटना, दिनांक-

विषय:- गोपालगंज जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/ 0640/2088(25) dated 27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 08/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-305(आ०चि०), दिनांक-14.03.2024 द्वारा नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना स०-743(आ०चि०), दिनांक-19.07.2024 द्वारा नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयो/राजकीय औषधालयो/आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ०चि०) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों/फिजिशियनों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अविधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा (दिनांक-20.07.2024 तक प्रभार ग्रहण किया गया है)

14/05/24

विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है:-

क्र० स०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हुआ हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या/निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GPF संख्या	उपस्थिति विवरण	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ० अशाफाक अहमद असारी, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला सयुक्त औषधालय, गोपालगंज, थावे रोड	दिनांक-16 03 2024 से 19 07 2024 तक 126 दिन	शून्य	30092425052990	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
2	डॉ० मो० कलामुदीन, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	राजकीय यूनानी औषधालय इन्द्रवा थावे, कुचायकोट	दिनांक-19 03 2024 से 19 07 2024 तक 123 दिन	शून्य	18092425052110	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
3	डॉ० बाबुदिन असारी, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उचकागाँव	दिनांक-16 03 2024 से 19 07 2024 तक 127 दिन	शून्य	29112425057433	प्राप्त	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-16/एम.1-85/2025 - 770- (आ०चि०)/पटना, दिनांक-14.5.2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, गोपालगंज/ कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गोपालगंज/ संबंधित सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवे
14/05/2026
सरकार के अवर सचिव
Annu